भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2899

08 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

एनटीपीसी का विस्तार

2899. श्री लालजी वर्मा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश राज्य के अम्बेडकर नगर जिले में एनटीपीसी लिमिटेड के विस्तार में कितने किसानों की भूमि और कितने लोगों के घर अधिगृहीत किए गए हैं;

(ख) क्या अधिगृहीत भूमि और मकानों के लिए सभी प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का उक्त प्रभावित किसानों को रोजगार देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : उत्तर प्रदेश राज्य के अंबेडकर नगर जिले में एनटीपीसी टांडा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अंबेडकर नगर जिले में एनटीपीसी टांडा चरण-II (2x660 मेगावाट) के विस्तार के लिए 1,542 भूमि मालिकों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है और 708 होमस्टेड विस्थापितों (एचएसओ)/लोगों के घरों का अधिग्रहण किया गया है।

चूंकि, भूमि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि एनटीपीसी द्वारा वर्ष 2014 में संवितरण के लिए जमा कर दी गई थी। जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 1,542 भूस्वामियों में से 1,346 को भूमि का मुआवजा मिल चुका है और शेष राशि विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ), अयोध्या द्वारा माननीय जिला न्यायालय, अंबेडकर नगर में जमा कर दी गई है। इसके अलावा, 708 एचएसओ में से 623 को घरों के लिए मुआवजा मिल चुका है और शेष राशि एसएलएओ, अयोध्या के पास है।

जिन लोगों ने मुआवज़ा स्वीकार नहीं किया है, उनमें से 54 भूस्वामियों/एचएसओ ने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में 09 रिट याचिकाएँ (डब्ल्यूपी) दायर की हैं। 09 रिट याचिकाओं में से 01 को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है और शेष 08 रिट याचिकाएँ अभी विचाराधीन हैं।

(घ) और (ङ) : सभी लाभ एनटीपीसी टांडा की आर एंड आर (पुनर्वास और पुनर्स्थापन) योजना के अनुसार प्रदान किए गए हैं, जिसे दिनांक 17 मार्च, 2011 को फैजाबाद के संभागीय आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया था और उसके बाद दिनांक 13.09.2012 और 12.12.2014 को संशोधित किया गया था।

****